



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2025 का कार्यवृत्त

समय: 05:30 बजे

स्थान: कुलपति आवासीय कार्यालय का सामाकक्ष

माध्यम: ऑनलाईन एवं ऑफलाईन।

उपस्थिति:

1. प्रो० संजय कुमार चौधरी, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. श्री गोपाल जी ठाकुर	—	सदस्य
3. डॉ० हरि नारायण सिंह	—	सदस्य
4. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	—	सदस्य
5. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	—	सदस्य
6. श्रीमती मीना कुमारी	—	सदस्य
7. प्रो० अशोक कुमार मेहता	—	सदस्य
8. डॉ० विजय कुमार यादव	—	सदस्य
9. डॉ० धनेश्वर प्रसाद सिंह	—	सदस्य
10. श्री सुजीत पासवान	—	सदस्य
11. डॉ० अमर कुमार	—	सदस्य
12. डॉ० गुलाम सरवर	—	सदस्य
13. डॉ० वीरेन्द्र कुमार चौधरी	—	सदस्य
14. डॉ० अनिल कुमार चौधरी	—	सदस्य
15. डॉ० दिव्या रानी हंसदा, कुलसचिव	—	सचिव

अध्यक्ष महोदय को सचिव द्वारा गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति माँगी गई। अनुमति प्राप्ति के पश्चात सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

- मद सं० 1 अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.07.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।
निर्णय : सर्वसम्मति से, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.07.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।
- मद सं० 2 अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.07.2025 के अनुपालन पर विचार।
निर्णय : अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.07.2025 के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रक्रियाधीन निर्णयों को 15 दिनों के अभ्यंतर पूर्ण कर लिया जाय। इसके साथ ही, दिनांक 19.07.2025 के अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
- मद सं० 3 अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 29.08.2025 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय : सर्वसम्मति से, दिनांक 29.08.2025 को सम्पन्न अनुशासन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
- मद सं० 4 वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.07.2025 एवं 15.09.2025 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
निर्णय : वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.07.2025 एवं 15.09.2025 के कार्यवृत्तों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं० 5 डॉ० सूरज कुमार, C/0- श्री अनिल कुमार सिंह, जानकी निवास, हीरा बाबू मार्केट, ट्रैफिक चौक, बेगूसराय - 851101 ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 18(13) के अन्तर्गत आजीवन दान दाता सदस्य बनने हेतु विश्वविद्यालय कोष में 1,01,000/- रू० (एक लाख एक हजार रूपये मात्र) दान स्वरूप जमा किया है। अतएव, डॉ० सूरज कुमार को आजीवन अधिषद् सदस्य बनाने हेतु अधिषद् सदस्यों के समक्ष अग्रत्तर कार्रवाई हेतु विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णय : सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा इस मद पर गहन विचार-विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि अधिषद् सदस्य के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 18(13) के अन्तर्गत आजीवन दान दाता सदस्य के लिए जिन लोगों को सदस्य नहीं माना गया, उनकी जमा की गई राशि उनके अधियाचना के पश्चात सम्मानपूर्वक लौटाया जाए। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि पुराने जितने भी संबंधित मामले राजभवन को भेजा गया और अद्यतन लंबित है, उन सभी मामलों पर राज्यपाल सचिवालय से भी दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन प्राप्त की जाए।

मद सं० 6 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। इसके साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सफल उम्मीदवारों द्वारा समर्पित एकेडमिक एक्सपीरियंस प्रमाण-पत्र की जाँच कुलसचिव एवं उप-कुलसचिव द्वितीय कार्यालय द्वारा उनके पैरेंट संस्थान से करवाया जाए।

मद सं० 7 डॉ० सुरेन्द्र कुमार दास, सहायक प्राचार्य, मैथिली विभाग, भी०एस०जे० कॉलेज, राजनगर, मधुबनी को विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारी हेतु अगस्त से दिसम्बर, 2025 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : सर्वसम्मति से, डॉ० सुरेन्द्र कुमार दास, सहायक प्राचार्य, मैथिली विभाग, भी०एस०जे० कॉलेज, राजनगर, मधुबनी को विधानसभा चुनाव 2025 में उम्मीदवारी हेतु अगस्त, 2025 से दिसम्बर, 2025 तक असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, नये अधिनियम के आलोक में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में भी सहायक प्राध्यापकों के प्रोबेशन पीरिएड को दो साल से घटा कर एक साल करने का निर्णय लिया गया। जिसकी अधिसूचना यथाशीघ्र निर्गत करने पर सहमति बनी।

मद सं० 8 डॉ० रामा शंकर, सहायक प्राचार्य, विधि विभाग, सी०एम० विधि महाविद्यालय, दरभंगा को दिनांक 20.09.2023 से स्वीकृत दो वर्षों के ग्रहणाधिकार को अगले एक वर्ष 19.09.2026 तक के लिए किये गये अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय : सर्वसम्मति से, डॉ० रामा शंकर, सहायक प्राचार्य, विधि विभाग, सी०एम० विधि महाविद्यालय, दरभंगा को दिनांक 20.09.2023 से स्वीकृत दो वर्षों के ग्रहणाधिकार को अगले एक वर्ष 19.09.2026 तक के लिए किये गये अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं० 9 डॉ० रितिका मौर्या, सहायक प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा को पूर्व में स्वीकृत एक वर्ष के ग्रहणाधिकार को अगले एक वर्ष के अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

Signature
20/09/25

- निर्णय : डॉ० रितिका मौर्या, सहायक प्राचार्य, वाणिज्य विभाग, सी०एम० कॉलेज, दरभंगा को पूर्व में स्वीकृत एक वर्ष के ग्रहणाधिकार को अगले एक वर्ष के अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
- मद सं० 10 डॉ० घनश्याम राय, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, को मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर के कुलसचिव के पद पर विरमन की तिथि से तीन वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार-सह-असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय : डॉ० घनश्याम राय, एसोसिएट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, को मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर के कुलसचिव के पद पर विरमन की तिथि से तीन वर्षों का स्वीकृत ग्रहणाधिकार-सह-असाधारण अवैतनिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई।
- मद सं० 11 विश्वविद्यालय सेवा अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों का सेवा नवीनीकरण चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय : विश्वविद्यालय सेवा अन्तर्गत स्नातकोत्तर विभागों/अंगीभूत महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में कार्यरत अतिथि/अंशकालिक शिक्षकों का सेवा नवीनीकरण चयन समिति के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अधिसूचना पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- मद सं० 12 श्री अमलेन्दु कुमार, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, आर०बी०एस० कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को आई०आई०आई०टी० राँची से पार्ट टाइम पी०एच०डी० कोर्स वर्क करने हेतु महाविद्यालय द्वारा विरमन की तिथि से छः माह का असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय : श्री अमलेन्दु कुमार, सहायक प्राचार्य, गणित विभाग, आर०बी०एस० कॉलेज, अन्दौर, समस्तीपुर को आई०आई०आई०टी० राँची से पार्ट टाइम पी०एच०डी० कोर्स वर्क करने हेतु महाविद्यालय द्वारा विरमन की तिथि से छः माह का असाधारण अवैतनिक अवकाश को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।
- मद सं० 13 सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनके स्थान पर नये गठित शासी निकायों के संबंध में कुलपति द्वारा दिये गये आदेश के घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।
- निर्णय : सम्बद्ध महाविद्यालयों में जिनके शासी निकाय का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनके स्थान पर नये गठित शासी निकायों के संबंध में कुलपति द्वारा दिये गये आदेश को सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- मद सं० 14 अतिरिक्त मद
- अतिरिक्त 1 अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 12.09.2025 के मद संख्या 01, 02, 03 एवं 04 में लिये गए निर्णय पर विचार।
- मद सं० निर्णय : अनुमोदन, वरीयता एवं वेतन निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 12.09.2025 के मद संख्या 01, 02, 03 एवं 04 में लिये गए निर्णयों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्यान्य मद:

- अन्यान्य 1 डॉ० अमर कुमार ने 4th Phase College के संबंध में सदन को सूचित किया कि मद सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त वेतन बिन्दु का निर्धारण करते हुए उनको देय पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अनुपयोगित अर्जित अवकाश, उपादान की राशि तथा अन्य बकाये की राशि की गणना करवाने का अनुरोध किया।

निर्णय : उक्त विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से, इस हेतु गठित समिति के संयोजक प्रो० विजय कुमार यादव ने सदन को सूचित किया कि समिति की बैठक लगातार हो रही है और 14वीं बैठक हो चुकी है। माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दु के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि पेंशन पदाधिकारी एवं उनके टीम को इस कार्य को 10 दिनों में सम्पादित कर समिति को हस्तगत कराने हेतु आग्रह किया जा चुका है। एक महीने में समिति अपना प्रतिवेदन समर्पित कर देगी। जिस पर सभी सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

अन्यान्य मद सं० निर्णय 2 डॉ० अमर कुमार ने बी०एड० कॉलेजों में फेकल्टी मेंबर्स की कमी को सदन से समक्ष रखा और आवश्यक कार्रवाई हेतु आग्रह किया।

निर्णय : माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अध्यक्ष, छात्र कल्याण द्वारा इस संबंध में किये जा रहे कार्य से सदन को अवगत कराया, जिस पर सभी सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।

अन्यान्य मद सं० निर्णय 3 डॉ० बैद्यनाथ चौधरी 'बैजू' ने सूचित किया कि पूर्व के कार्यकाल में उन पर संगीन आरोप लगा उनको उनके चारों महाविद्यालयों के डोनर मेंबर से हटा दिया गया।

निर्णय : नियमानुसार उक्त मद को देखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने छः सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया। समिति की संरचना निम्न प्रकार है:-

1. डॉ० हरि नारायण सिंह
 2. श्रीमती मीना कुमारी
 3. श्री सुजीत पासवान
 4. प्रो० विजय कुमार यादव
 5. अध्यक्ष, छात्र कल्याण
 6. महाविद्यालय निरीक्षक
- संयोजक

अन्यान्य मद सं० निर्णय 4 श्रीमती मीना कुमारी ने सदन को सूचित किया कि महाविद्यालयों में आयोजित समारोह में माननीय सिंडिकेट सदस्यों को नहीं बुलाया जाता है।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस हेतु एक पत्र सभी प्रधानाचार्यों/प्रभारी प्रधानाचार्यों को भेजा जाय, जिसमें वे अपने महाविद्यालय में आयोजित समारोह में लोकल सिंडिकेट मेंबर्स को आमंत्रित करें।

अन्यान्य मद सं० निर्णय 5 प्रो० अशोक कुमार मेहता, अध्यक्ष, छात्र कल्याण ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि विश्वविद्यालय में एक हाई-फाई सिंडिकेट हॉल का निर्माण किया जाए।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव पर सदन द्वारा सहमति प्रदान किया गया। साथ ही, कुलपति आवासीय सभागार की मरम्मती करवाते हुए सभी अपेक्षित एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित कराया जाए।

अन्यान्य मद सं० निर्णय 6 डॉ० दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव दिया कि सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में डोनर नियमानुसार नियुक्त है या नहीं, इसकी जाँच करवाई जाए।

निर्णय : इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित मनोनीत सदस्य होंगे:-

1. प्रो० दिलीप कुमार चौधरी
 2. डॉ० हरि नारायण सिंह
 3. श्रीमती मीना कुमारी
 4. महाविद्यालय निरीक्षक
- संयोजक

अन्यान्य मद सं० निर्णय 7 16 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाले 11वीं दीक्षांत समारोह की तैयारी।

निर्णय : सदन द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाले 11वीं दीक्षांत समारोह की तैयारी, उसमें आने वाले व्यय, सम्पूर्ण देख-रेख इत्यादि हेतु कुलपति-सह- अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया।

Signature
29/09/25

- अन्यान्य मद सं० निर्णय : 8 11वीं दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले मानद उपाधि पर विचार।
- सदस्यों के अनुरोध पर कुलपति सह अध्यक्ष ने तीन नाम क्रमशः
1. डा० रामवचन राय, साहित्य के क्षेत्र में।
 2. डा० राजमणि प्रसाद सिन्हा, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में।
 3. डा० समरेन्द्र प्रताप सिंह, चिकित्सा के क्षेत्र में।
- मानद उपाधि हेतु सदन के समक्ष प्रस्तावित किया। इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
- अन्यान्य मद सं० निर्णय : 9 डॉ० अमर कुमार ने प्रथम तल पर अवस्थित पेंशन शाखा जाने हेतु सीढ़ी चढ़ने में असमर्थ पेंशनरों तथा अन्य ओल्ड ऐज प्राचार्यों या बीमार व्यक्तियों के लिये लिफ्ट को क्रियाशील करवाने हेतु आग्रह किया।
- निर्णय : सर्वसम्मति से, निर्णय लिया गया कि लिफ्ट को सही करवाते हुए उसे क्रियाशील कराया जाय।

बैठक में चक्रानुक्रम में मनोनीत नये सदस्यों का परिचय लेते हुए सदन द्वारा उनका स्वागत एवं अभिवादन किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव-सह-सचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को बैठक के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग, महत्त्वपूर्ण सुझाव तथा कीमती समय दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरान्त, बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(डॉ० दिव्या रानी हंसदा)
कुलसचिव-सह-सचिव

(प्रो० संजय कुमार चौधरी)
कुलपति-सह-अध्यक्ष

ज्ञापांक :- UB-815/25
प्रतिलिपि प्रेषित-

दिनांक-20.09.2025

1. अभिषद् के सभी सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
2. सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार पटना;
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार पटना;
4. उप-सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना;
5. सभी पदाधिकारी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
6. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;
7. कुलपति के सचिव/प्रति-कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा;

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(Signature)
20/09/25
कुलसचिव

(Signature)
20/09/25